बसंत कुमार v/s राज० सरकार (39/13)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 19/1/22 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली आदेशानुसार दिनांक 2/3/22 को पेश हो |
| 2/3/22 | पत्रावली पेश हुई। वकीलान उप० बहस श्रवण की गई। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों, दौरान बहस कथन विद्वान अधिवक्ता एवं न्यायिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में वाद/याचिका पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित कर शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कट हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मलसीसर |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 39/2013

बसन्त कुमार उर्फ बसन्तीलाल आयु 58 वर्ष पत्नी स्व.श्री सत्यनारायण उर्फ शैतान जाति माली निवासी ग्राम महनसर तहसील मलसीसर

आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर
2. श्रीमती निर्मल कंवर बैवा स्व. भरतसिंह जाति राजपूत (दौराने वाद मृतक) निवासी ग्राम महनसर
3. सतपाल सिंह पुत्र स्व. भरतसिंह जाति राजपूतनिवासी ग्राम महनसर
4. प्रेमसिंह पुत्रस्व. भरतसिंह जाति राजपूतनिवासी ग्राम महनसर
5. सम्पत सिंह स्व. भरतसिंह जाति राजपूतनिवासी ग्राम महनसर
6. जन्नत पत्नी यासीन जाति तैली मुसलमान निवासी महनसर
7. इस्माइल पुत्र यासीन जाति तैली मुसलमान निवासी महनसर
8. शौकत पुत्र यासीन जाति तैली मुसलमान निवासी महनसर
9. सबीरा पत्नी नत्थू जाति तैली मुसलमान निवासी महनसर
10. जाकिर पुत्र नत्थू जाति तैली मुसलमान निवासी महनसर
11. रफीक पुत्रनत्थू जाति तैली मुसलमान निवासी महनसर
12. मुबारिक पुत्र नत्थू जाति तैली मुसलमान निवासी महनसर
13. नूरा पुत्र अलादीन जाति तैली मुसलमान निवासी महनसर

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत रिकार्ड दुरूस्ती एवं दावा बाबत धोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

## निर्णय

निर्णय दिनांक 02.03.2022

संक्षेप मे आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम महनसरकी सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 255रकबा 2 बीधा 8 बिश्वा, ख0न0 258/519 रकबा 9 बीधा, ख0न0 258 रकबा 8 बीधा 4 बिस्वा पुख्ता जिनके हाल ख0न0 652 रकबा 0.42 है0, ख0न0 656 रकबा 0.15 है0, ख0न0 655 रकबा 0.05 है0, ख0न0 663 रकबा 0.12 है0, ख0न0 664 रकबा 1.95 है0 व ख0न0 665 रकबा 2.28 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.98 है0 भूमि अवस्थित है जो ठाकुर जालम सिंह साकिन महनसर की कब्जे काश्त की थी। उक्त भूमि में गत ख0न0 255 की सम्पूर्ण भूमि रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा, ख0न0 258 की 1/2 भाग यानि 4 बीधा 2 बिस्वा एवं ख0न0 259/519 के 1/2 भाग यानि 4 बीधा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीधा भूमि विवादीत है। शेष भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद प्रश्नगत आवेदन पत्र में नहीं है। विवादीत भूमि ठाकुर जालम सिंह से वादी/प्रार्थी के पिता सत्यनारायण उर्फ शैतान पुत्र नन्दू माली निवासी ग्राम महनसर ने प्रार्थी/वादी के नाम सन 1962 में जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र क्रय की थी। प्रार्थी/वादी तत्समय अवयस्क होने के कारण ठाकुर जालिम सिंह ने क्रयशुदा भूमि का कब्जा वादी/प्रार्थी के पिता को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

दिया और तभी से विवादीत भूमि पर आवेदक के पिता का कब्जा काश्त रहा है। भूमि क्रय के
व प्रार्थी/वादी अवयस्क होने से सम्वत 2017–19 की गिरदावरी के कॉलम संख्या 32 में
र्थी/वादी के पिता का नाम बतौर काश्तकार दर्ज कर दिया गयापरन्तु प्रार्थी/वादी का नाम उस
समय जमाबंदी में दर्ज नहीं हो सका। जमाबंदी सम्वत 2032–35 व उसके पश्चात प्रार्थी/वादी के
पिता का नाम बतौर काश्तकार केवल ख0न0 258 के आधे भाग की भूमि बाबत दर्ज हुआ। क्रयशुदा
भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी/वादी के नाम दर्ज करने बाबत पटवारी हल्का के समक्ष प्रार्थना पत्र
पेश करने पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 24.10.1970 में विवादीत भूमि से संबंधित सभी
हकधारको को ग्राम पंचायत महनसर में बुलाया जाकर सभी की उपस्थिति में राजीरजा क्रयशुदा 11
बीधा सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी/वादी के नाम दर्ज करने के आदेश दिया गया। ओर इस
प्रकार नामान्तरकरण संख्या 234 प्रार्थी/वादी के हक में तस्दीक किया गया। दिनांक 03.03.1978
को प्रार्थी के हक में पास बुक जारी कर दी गई। नामान्तरकरण संख्या 234 की पूर्ण पालना पटवारी
हल्का को करनी थी परन्तु पटवारी हल्का उक्त नामान्तरकरण का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी
में आवेदक के नाम पूर्णतः अमल दरामद नहीं किया और अंत में नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांकित
24.10.1970 के अनुसार आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश
फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। तामिली रिपोर्ट लौटकर प्राप्त नहीं होने पर अनावेदकगण की तामिल जरिये अखबार से करवाई गई। अनावेदक संख्या 2 दौराने दावा देहान्त होने से इनके जवाब इसी स्तर पर स्वतः बंद हेा गया। शेष अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 13 की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अनावेदकगण अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये अपनास्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 17 डाले। जिनमें प्रदर्श 1 नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांकित 24.10.1970 जो कि डाले जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. प्रदर्श 1 नामान्तरकरण संख्या 234
2. प्रदर्श 2 गिरदावरी स्लिप सम्वत 2014
3. प्रदर्श 3 लगायत 12 रसीद फार्म पी–33
4. प्रदर्श 13 मिलान क्षेत्रफल
5. प्रदर्श 14 नक्शा शीट सम्वत 1992
6. प्रदर्श 15 नक्शाशीट सम्वत 1992–93
7. प्रदर्श 16 जमाबंदी सम्वत 2066–71
8. प्रदर्श 17 गिरदावरी सम्वत 2016–19

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय करने एवं नामान्तरकरण संख्या 234 ग्राम पंचायत महनसर द्वारा तस्दीक होने से सुविधा का संतुलन आवेदक के हक में है। नामान्तरकरण की पालना में इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाना था जो तत्समय पटवारी हल्का द्वारा नहीं किया गया। पटवारी हल्का की भूलसुधार कर उक्त

करण का इन्द्राज राजस्व अभिलेख जमाबंदी में किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः ा पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक के हक में राजस्व अभिलेख दुरूस्त फरमाने का आदेश फरमायाजावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय करने एवं नामान्तरकरण संख्या 234 ग्राम पंचायत महनसर द्वारा तस्दीक होने से सुविधा का संतुलन आवेदक के हक में है। परन्तु आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 गलतियों का शुद्विकरण में यह प्रावधान है कि

"भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हें शुद्व करवा सकेगा, जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्व नहीं की जावेगी तब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो"

प्रश्नगत प्रकरण में धारा 136 के प्रावधान लागु होते है अथवानहीं ? या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के प्रावधान लागु होंगे। यह भी एक विचारणीय बिन्दू है। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 234 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया था जिसकी पालना में संबंधित पटवारी हल्का द्वारा राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज किया जाना था जो संबंधित पटवारी हल्का द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्टतः प्रथदृष्टया लिपिकीय भूल की दृष्टि से देखा जा सकता है ओर इस दृष्टि से चूंकि यह एक लिपिकीय भूल है जो धारा 136 के प्रावधानों के समतुल्य होने से शुद्व किये जाने योग्य है।

दूसरी ओर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में अधिकारों की धोषणा किये जाने के संबंध में निम्न प्रावधान है :–

"(1) कोई व्यक्ति जो आसामी या सह आसामी होने का दावेदार है, धोषणा करवाने के लिये अथवा ऐसी संयुक्त काश्तकारी में अपने हिस्से की धोषणा करवाने के लिए दावा कर सकेगा।

(2) खुदकाश्त का आसामी इस धोषणा के लिए दावा कर सकेगा कि वह खुदकाश्त का आसामी है।

(3) शिकमी–आसामी ऐसे व्यक्ति पर जिससे लेकर वह भूमि धारण करता है यह धोषणा करवाने के लिए दावा कर सकेगा कि वह शिकमी–आसामी है।

(4) राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी भूमि–क्षेत्र का आसामी या सह–आसामी, अथवा खुदकाश्त का आसामी या शिकमी–आसामी होने का दावा करता है, उनके अधिकार की धोषणा के लिये दावा कर सकेगा।"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण में आवेदनकर्ता द्वारा विवादीत भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की गई थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में तत्समय इन्द्राज नहीं पाया जिसे वर्तमान में करवाना चाहा गया है। अतः यह आवेदनकर्ता के अधिकारों काप्रश्न है जो जमाबंदी में किसी कारण वश दर्ज रहने से वंचित हो गया। इस प्रकार प्रकरण धारा 88 में आवेदनकर्ता के अधिकारों की धोषणा से संबंधित है। इसलिये उक्त प्रकरण को धारा 88 के प्रावधानों के तहत निस्तारण किया जावे।

प्रथतः प्रकरण को दोनो बिन्दूओं पर रखकर यह निर्णय लिया जाना है कि आवेदनकर्ता के आवेदन को धारा 136 के तहत स्वीकार कर तत्पश्चात आगामी कार्यवाही की जावे या काश्तकारी

55 की धारा 88 के प्रावधानों के तहत अधिकारों की घोषणा हेतु पृथक से वाद पेश इजाजत के साथ प्रकरण खारीज किया जावे अथवा प्रकरण इसी स्तर पर स्वीकार कर ारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के प्रावधानों के तहत आवेदनकर्ता के खातेदारी की घोषणा ाई जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। आवेदनकर्ता का अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत अधिकारों की घोषणा है परन्तु आवेदनकर्ता द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को जमाबंदी में दर्ज नहीं करने की लिपिकीय भूल को शुद्व कर जमाबंदी में दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। जिसके तहत प्रकरण खारीज कर धारा 88 के तहत नवीन वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को निर्देश दिये जा सकते है।

चूंकि आवेदनकर्ता का प्रकरण विधि के दोनो प्रावधानों के परिपेक्ष्य में समान रूप से लागु होता है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों से आवेदनकर्ता के पक्ष में पर्याप्त सुविधा का संतुलन है। तहसीलदार मलसीसर की मौका जांच रिपोर्ट में भी मौके पर खसरा नम्बर 652, 655, 656, 663 व 664 पर श्री बसन्त कुमार पुत्र रामनारायण उर्फ शैतान जाति माली द्वारा कई वर्षो से काश्त करना बताया है। अतः नामान्तरकरण स्वीकृत होकर जमाबंदी में दर्ज न होना आवेदनकर्ता की भूल नहीं कही जा सकती।जिसके लिए विचाराधीन आवेदन पत्र खारीज कर नवीन धोषणार्थ वाद पेश करने के लिए निर्देशित कर आवेदनकर्ता के न्यायिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता का आवेदन पत्र इसी स्तर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 234 के तहत आवेदनकर्ता को ग्राम महनसर के गत ख0न0 255 की सम्पूर्ण भूमि रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा, ख0न0 258 की 1/2 भाग यानि 4 बीधा 2 बिस्वा एवं ख0न0 259/519 के 1/2 भाग यानि 4 बीधा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीधा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

## निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम महनसर की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 255 की सम्पूर्ण भूमि रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा, ख0न0 258 की 1/2 भाग यानि 4 बीधा 2 बिस्वा एवं ख0न0 259/519 के 1/2 भाग यानि 4 बीधा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीधा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 02/3/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर